कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, जयपुर

www.jaipur.rajasthan.gov.in

क्रमांकः स्टोर/अनु.स्टे.नीलामी/2018/ 1889 दिनांक 16/5/1

नीलामी सूचना

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, जयपुर के चुनाव भण्डार में विधानसभा चुनाव,2013, लोकसभा चुनाव,2014 एवं नगर निगम चुनाव,2014 के दौरान संग्रहित काऊटर नं. 2 एवं 3 के सफेद कागज/लिफाफे अनुमानित वजन लगभग 3000 कि. ग्रा. की नीलामी दिनांक 23.05.2018 को प्रातः 11.00 बजे पशुपालन भवन लालकोठी, में स्थित जिला चुनाव भण्डार, जयपुर में की जावेंगी। काऊटर नं. 2 एवं 3 के सफेद कागज/लिफाफों का नष्टीकरण नियमानुसार निर्वाचनों का संचालन नियम,1961 के नियम 94 के तहत की जावेगी।

उक्त नीलामी में निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन कोई भी बोलीदाता नीलामी की बोली में भाग ले सकते है :-

1. नीलामी बोली में भाग लेने हेतु बोली दाता को रू. 1000/-अमानत राशि मौके पर जमा करानी होगी।
2. नीलामी बोली पर नियमानुसार जी.एस.टी. अलग से देय होगा।
3. नीलामी बोलीदाता को रद्दी तुलवाकर सुपुर्द की जावेगी। रद्दी की तुलाई हेतु तौलमाप यंत्र की व्यवस्था स्वयं बोलीदाता द्वारा की जावेगी।
4. सफल बोलीदाता द्वारा स्वीकृति पश्चात् तत्काल सम्पूर्ण राशि जी.एस.टी. सहित जमा करवाकर सफेद कागज/लिफाफे को तुलाई पश्चात् मौके पर ही कटर मशीन से छोटे-छोटे टुकटों में काटकर स्वयं के खर्च से मौके से हटानी होगी।
5. कटर मशीन की व्यवस्था बोलीदाता द्वारा की जावेगी।
6. नीलामी बोली बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत/निरस्त करने संबंधी समस्त अधिकार जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलक्टर), जयपुर में निहित होंगे।

उपजिला निर्वाचन अधिकारी,
जयपुर

क्रमांकः स्टोर/अनु.स्टे.नीलामी/2018/ 1890 दिनांक 16/5/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वरिष्ठ लेखाधिकारी/तहसीलदार चुनाव/सहायक लेखाधिकारी (लेखा) शाखा एवं स्टोर कीपर (चुनाव भण्डार), जयपुर को कार्यालय आदेश क्रमांक 1843 दिनांक 14.05.2018 के क्रम में उपरोक्त नियत दिनांक व समय पर नीलामी हेतु गठित कमेटी के रूप में नीलामी कार्य सम्पादन हेतु प्रेषित् है।
2. निजी सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, जयपुर।
3. संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर नोटिस बोर्ड।
4. जिला कलक्टर, जयपुर नोटिस बोर्ड।
5. कोष कार्यालय, जयपुर (शहर) नोटिस बोर्ड।
6. जयपुर नगर निगम नोटिस बोर्ड।